न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—82/2022

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
दीपी पुत्री धनाराम पत्नी किशनाराम जाति जाट निवासी अभाणियों का सरा (चवा) हाल निवासी त्रिशुलिया (खरंटिया) तहसील सिणधरी		1.चेतनराम पुत्र धनाराम 2. पुनाराम पुत्र जेठाराम 3. चनणी पुत्री दुदाराम 4. धापू पत्नी दुदाराम 5. अचलाराम पुत्र पनाराम 6. भेराराम पुत्र अमेदाराम 7. पुरोदेवी पत्नि अमेदाराम 8. जीयाराम पुत्र रूगाराम 9. धनाराम पुत्र रूगाराम 10. नवलीदेवी पत्नि रूगाराम 11. पोकरराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी त्रिशुलिया (खरंटिया) तहसील सिणधरी 12. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. चवा 13. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी.सिणधरी 14. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित— श्री जोगराज पोटलिया वकील वादिनी

पैरोकार सरकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक— 02.05.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 11 की पुश्तैनी सम्पति की सयुंक्त हक, कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 151/[illegible] रकबा [illegible]4997 हैक्टयर, खसरा संख्या 108 रकबा 13.4699 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 79 रकबा [illegible] हैक्टयर ग्राम त्रिशुलिया तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त [illegible] जिनके 4 पुत्र— प्रतिवादी सं. 5 से 7 के पूर्व पुरूष पनाराम, प्रतिवादी सं. 3 व 4 [illegible] पिता—पति दूदाराम, प्रतिवादी सं. 2 के पिता जेठाराम एवं वादिनी के पिता धनाराम— थे। इस प्रकार प्रत्येक थौक का वादग्रस्त भूमि में 1/4—1/4 हिस्सा था। वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से के खातेदार धनाराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

वारिसान में एक पुत्र पदमाराम, एक पत्नी पूरों एवं एक पुत्री वादिनी दीपी थे। बाद में पदमा दो वर्ष की अल्पायु में फौत हो चुका था और पूरों भी बाद में फौत हो गयी थी, इस प्रकार 1/4 हिस्से के खातेदार धनाराम के वादिनी ही वर्तमान में इकलौती वारिस विद्यमान है। धनाराम के फौत होने पर उसके वारिस के तौर पर पदमाराम के नाम एवं पदमाराम के फौत होने पर पूरां के नाम जरिये नामान्तकरण अमलदारामद हुआ। पूरां के फौत होने पर चेतनराम, जो जेठाराम का पुत्र था, को धनाराम का पुत्र बताकर उसके नाम अमलदारामद करवा दिया। जबकि धनाराम की हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादिनी इकलौती वारिस है। अतः वादिनी ने धनाराम के 1/4 हिस्से में चेतनराम की प्रविष्टि निरस्त करवाते हुए उसके स्थान पर स्वयं को 1/4 हिस्से की खातेदार घोषित करवाने, माफिक कब्जा काश्त अपने 1/4 हिस्से की भूमि पृथक करवाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व अपने कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण सं. 1 से 11 बावजूद सम्मन तामिल होने के बावजूद भी सुनवाई हेतु उपस्थिति नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 14 के पैरोकार सरकार उप.।

प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादीनी की ओर से बतौर मौखिक साक्ष्य स्वयं दीपी पी.डब्ल्यू–1, पी. डब्ल्यू–2 धापूदेवी व पी.डब्ल्यू–3 गवरी द्वारा अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की प्रदर्श–01 जमाबंदी खसरा संख्या 151/80 ग्राम त्रिशुलिया, इसी ग्राम की खसरा संख्या 108 व 79 की जमाबन्दी–प्रदर्श–02, प्रदर्श–03 वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2013–2016, धना की फौतेदगी पर दायर ना.क.सं. 31 प्रदर्श–04, पदमा की फौतेदगी पर दायर पूरों के नाम ना.क.सं. 36 प्रदर्श–5 , पूरों की फौतेदगी पर दायर चेतन के नाम ना.क.सं. 54 प्रदर्श–06, इसी ग्राम का ना.क.सं. 56 व ना.क.सं. 67 प्रदर्श– 8, दीपीदेवी का आधार कार्ड प्रदर्श–09, दीपीदेवी के जनआधार की रसीद प्रदर्श– 10 एवं उसका जनआधार कार्ड प्रदर्श–11 प्रस्तुत किये।

हमनें वकील वादीदी की बहस सुनी गई थी। वकील वादीनी ने वाद के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिए कि वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से के खातेदार धनाराम के वक्त फौतेदगी तीन वारिस एक पुत्र, एक पुत्री एवं एक पत्नी होने के बावजूद पदमाराम के नाम ना.क. पारित हुआ। पदमा के फौत होने पर उसकी [illegible] पूरां के [illegible] पर [illegible] फौत होने पर चेतनराम को उसका पुत्र बताकर उसके नाम ना.क. पारित किया गया और [illegible] बार वादिनी दीपी की प्रविष्टि की अनदेखी की गई। जबकि हिन्दु [illegible] प्रावधानानुसार धनाराम की पुत्री की हैसियत से वादिनी ही उसकी प्रथम सूची की इकलौती विद्यमान वारिस है तथा वादग्रस्त भूमि का 1/4 हिस्सा चेतनराम के स्थान पर अपनी खातेदारी मे घोषित करवाने की अधिकारिणी है। अतः चेतनराम के स्थान पर वादिनी का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे। तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

वादिनी के 1/4 हिस्से के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने की प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। साथ ही वकील वादिनी ने यह भी निवेदन किया कि वे विभाजन की इस्तदुआ नहीं चाहती है, अतः उक्त इस्तदुआ विड्रो की जावे।

हमनें वकील वादिनी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के शपथ पत्रों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। वादपत्र पर अंकित वंशवृक्ष के अनुसार वक्त मृत्यु धनाराम के तीन वारिस– पदमाराम, दीपी एवं पूरां थी तथा पदमाराम व पूरां के फौत होने पर वादिनी ही हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार इकलौती वारिस है। चेतनराम का नाम धनाराम के पुत्र के रूप में 1/4 हिस्से में दर्ज कर कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की गई। मौखिक साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत गवाहान के शपथपत्रों से वादिनी ही धनाराम की इकलौती जीवित वारिस होने तथा उसी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार वादिनी वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से में चेतन के स्थान पर अपनी खातेदारी घोषित करवाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम त्रिशुलिया तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 151/80 रकबा 25.4997 हैक्टयर, खसरा संख्या 108 रकबा 13.4699 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 79 रकबा 0.0647 हैक्टयर भूमि में शेष खातेदारान को अप्रभावित रखते हुए तथा 1/4 हिस्से से प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी निरस्त करते हुए उसके स्थान पर वादिनी को 1/4 हिस्से की खातेदार घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:23 IST
Reason: SelfAttested